रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

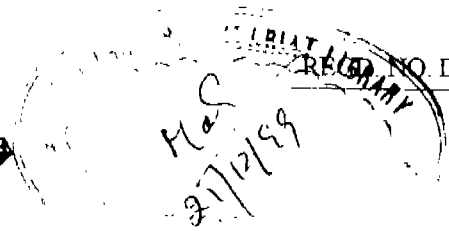

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 501] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 11, 1999/आश्विन 19, 1921
No. 501] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 11, 1999/ASVINA 19, 1921

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 1999

सा.का.नि. 695 (अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 692(अ), तारीख 20 नवम्बर, 1998 के साथ, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 20 नवम्बर, 1998 में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें ऐसे व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 23 नवम्बर, 1998 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी।

और उक्त प्रारूप नियम पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (छठा संशोधन) नियम, 1999 है।

(2) ये तारीख 11-4-2000 को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955, में,—

(1) नियम 49 के उपनियम (24) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा; अर्थात् :—

"(24) कोई व्यक्ति चूर्णित मसालों और स्वादवर्धक मसालों का विक्रय पैक दशाओं में ही करेगा, अन्यथा नहीं।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "मसालों और स्वादवर्धक मसालों" से खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के परिशिष्ट "ख" में यथा विनिर्दिष्ट मसाले और स्वादवर्धक मसाले अभिप्रेत हैं।"

(2) उपरोक्त नियम के परिशिष्ट "ख" में,—

(क) मद सं. क-05-25 के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"क-05-26 सफेद मिर्च (पीपर व्हाइट) साबुत से पीपर नाइग्रम लिनीयस के ऐसे सूखे बेर अभिप्रेत हैं जिनकी बाहरी फलभित्ति अलग कर दी गई है। बेर चिकनी सतह के सफेद से लेकर हलके भूरे रंग तक के होंगे। विजातीय पदार्थ का अनुपात जिसके अंतर्गत धूल, स्कंद, पत्ती वाले पदार्थ और अन्य विजातीय पदार्थ हैं भार के अनुसार 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। काले बेर साबुत का अनुपात भार के अनुसार 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। सफेद हल्के बेरों के अनुपात का अवधारण करने के लिए स्थूल घनत्व प्रति लीटर 600 ग्राम से कम नहीं होगा। कीट क्षतिग्रस्त पदार्थ की मात्रा भार के अनुसार 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह अतिरिक्त रंजक द्रव्य से मुक्त होगा।

स्पष्टीकरण : "कीट क्षतिग्रस्त पदार्थ" पद से ऐसे मसाले अभिप्रेत हैं जो कीटों द्वारा भागत: या पूर्णत: बेधित है। क-05-26-01 सफेद मिर्च (व्हाइट पीपर) चूर्ण से सफेद मिर्च साबुत को पीस कर प्राप्त किया गया चूर्ण अभिप्रेत है और इसमें कोई अन्य विजातीय पदार्थ नहीं मिलाया जाएगा।

यह निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होगा, अर्थात् :—

(i) आर्द्रता	—भार में 14.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
(ii) कुल भस्म (शुष्क आधार पर)	—भार में 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
(iii) तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (एच. सी. एल) में अविलेय भस्म (शुष्क आधार पर)	—भार में 0.3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
(iv) अवाष्पशील ईथर निष्कर्षण (शुष्क आधार पर)	—भार में 6.5 प्रतिशत से कम नहीं होगी।
(v) पिपेरीन अंतवस्तु (शुष्क आधार पर)	—भार में 4.0 प्रतिशत से कम नहीं होगी।
(vi) अपरिष्कृत रेशे अविलेय सूचक (शुष्क आधार पर)	—भार में 6.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

यह अतिरिक्त रंजक द्रव्य से मुक्त होगा";

(ख) पद सं. क-16.16 में "सिट्रिक अम्ल, सूखे फल होंगे जिसके अंतर्गत रेजिन और गिरीदार फल भी हैं।"

शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

"आचार मिलाये गए संश्लिष्ट खाद्य रंग से मुक्त होगा।"

[फा.सं. पी.-15014/2/98-पी.एच (खाद्य)]

दीपक गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 पहले दिनांक 12-9-1955 का. नि. आ. 2105 के तहत भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3 में प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम बार सा.का.नि. 396(अ) दिनांक 27-5-99 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 1999

G.S.R. 695(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published as required by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) with the notification of Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) number G.S.R. 692(E) dated the 20th November, 1998 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 20th November, 1998 inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette of India were made available to the public on 23rd November, 1998.

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food Standards, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely :—

RULES

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Sixth Amendment) Rules, 1999.

(2) They shall come into force on 11-4-2000.

2 In the prevention of Food Adulteration Rules, 1955,—

(1) in rule 49, for sub-rule (24), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(24) No person shall sell powdered spices and condiments except under packed conditions.

Explanation : For the purpose of this sub-rule, "Spices and Condiments" means the spices and condiments as specified in Appendix 'B' of Prevention of Food Adulteration Rules, 1955";

(2) in Appendix 'B' to the said rules,—

(a) after item A.05 25, the following item shall be inserted, namely :—

"A.05.26—Pepper White Whole means the dried berries of piper nigrum linnacus from which outer pericarp has been removed. The berries will be light brown to white in colour with smooth surface. The proportion of extraneous matter including dust, stalks, leafy matter and other foreign matter shall not exceed 1 per cent, by weight. Proportion of black berries whole shall not exceed 5 per cent, by weight. Bulk density for determining proportion of white light berries shall not be less than 600 gm per litre

The amount of insect damaged matter shall not exceed 5 per cent by weight. It shall be free from added colouring matter.

Explanation : The term "insect damaged matter" means spices that are partially or wholly bored by insects.

A.05.26.01—Pepper White Powder means the powder obtained by grinding the white pepper whole and shall be without the addition of any other foreign matter. It shall conform to the following standards, namely :—

(i) Moisture	Not more than 14.0 per cent, by weight.
(ii) Total Ash (on dry basis)	Not more than 3.5 per cent, by weight.
(iii) Ash insoluble in dilute HCl (on dry basis)	Not more than 0.3 per cent, by weight.
(iv) Non-volatile ether extract (on dry basis)	Not less than 6.5 per cent, by weight.
(v) Piperine Content (on dry basis)	Not less than 4.0 per cent, by weight.
(vi) Crude fibre insoluble index (on dry basis)	Not more than 6.5 per cent, by weight.

It shall be free from added colouring matter";

(b) in item A.16.16 after the words "Citric acid, dry fruit including resins and fruit nut", following shall be added, namely :—

"Pickles shall be free from added synthetic Food colours".

[F. No. P-15014/2/98-PH (Food)]

DEEPAK GUPTA, Jt. Secy

Foot Note : The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part II, Section 3 of Gazette of India vide S R.O. 2105 dated 12-9-1955 and were last amended vide G.S.R. No. 396 (E) dated 27-5-99.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054